न्यायालय संभागीय आयुक्त, अजमेर

(निर्णय बईजलास श्री लक्ष्मीनारायण मीणा, आई.ए.एस संभागीय आयुक्त, अजमेर)

क्रमांक/वि.अ./06/16/नागौर (2016/00267)

विभागीय अपील द्वारा श्री रामदिनेश छीपा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत किनसरिया, हाल ग्राम पंचायत भकरी, पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर विरूद्ध आदेश मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर के आदेश दिनांक 7–10–2010 जिसके द्वारा अपचारी कर्मचारी को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है।

उपस्थितः– श्री रामदिनेश छीपा, तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव, ग्राम पंचायत किनसरिया, हाल ग्राम पंचायत भकरी, पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर

निर्णय

दिनांकः– 12.07.2019

यह अपील राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 23 के अन्तर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर के आदेश दिनांक 7–10–2010 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

अपीलांट के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत विभागीय जांच प्रारम्भ करते हुए उनके नाम दिनांक 01–01–2009 को एक ज्ञापन अन्तर्गत नियम 16 सीसीए के मय आरोप पत्र जारी किया गया। इनके विरूद्ध निम्न आरोप लगाये गयेः–

आरोप संख्या– 1

यह कि आप श्री रामदिनेश छीपा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत किनसरिया पंचायत समिति परबतसर के पद पर कार्यरत रहते हुए ई.एफ.सी योजना में स्वीकृति आदेश संख्या 34–36 दिनांक 26–6–2005 के द्वारा रपट निर्माण कार्य रामदेवजी के मंदिर व तालाब के पास ग्राम खिंदरपुरा में लागत रूपये 15000/– रूपये का स्वीकृत किया गया था। यह कार्य दिनांक 2–7–2005 से शुरू किया जाकर दिनांक 9–7–2005 तक पूर्ण किया गया। उक्त कार्य पर 13141/– रूपये का व्यय किया गया, लेकिन इसके लिए न तो एम.बी. भरी गई

एवं न ही उपयोगिता प्रमाण–पत्र तैयार किया गया। इस प्रकार आप द्वारा रूपये 13141/– का गबन कर अनियमितता बरती गई है, जिसके लिए आप दोषी है।

अपीलार्थी को 15 दिवस के अन्दर लिखित अभिकथन प्रस्तुत करने का अवसर दिया गया। इनके द्वारा दिनांक 10–02–2009 को लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर आरोपों को अस्वीकार किया गया। विकास अधिकारी, पंचायत समिति परबतसर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया। विकास अधिकारी, पंचायतसमिति परबतसर ने अपने पत्र क्रमांक 2113 दिनांक 9–10–2009 द्वारा जांच रिपोर्ट अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर को प्रेषित की जिसमें उन्होंने आरोप पत्र में आरोपित राशि 13141/– रूप्ये का गबन न मानते हुए ग्राम सेवक द्वारा देरी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दोषी माना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर ने अपीलान्ट की सुनवाई कर आदेश दिनांक 7–10–2010 पारित कर अपीलान्ट को उक्त प्रकरण में दोषी मानते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर के उक्त दण्डादेश को विचाराधीन अपील में चुनौती दी गई है।

अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कथन किया कि ग्राम पंचायत किनसरिया के स्वीकृति क्रमांक 34–36 दिनांक 20–2–2005 के द्वारा रपट निर्माण कार्य रामदेवजी के मंदिर व तालाब केपास ग्राम ख्रिंदरपुरा में लागत रूपये 15000/– का स्वीकृत किया गया था। उक्त कार्य दिनांक 7–5–2005 से शुरू किया जाकर दिनांक 9–7–2005 तक पूर्ण कराया गया था । उक्त कार्य पर 13141/– रूपये का व्यय किया गया, लेकिन उसके लिए न तो एम.बी. भरी गई एवं न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया गया। इस प्रकार 13141/– रूप्ये का गबन कर अनियमितता का दोषी माना जाने के आरोप से आरोपित किया गया है।

उक्त संबंध में अपचारी ने कथन किया कि मेरे द्वारा उक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार कर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को प्रस्तुत कर दिया था। मगर इसी दौरान मेरा स्थानान्तरण अन्य ग्राम पंचायत में हो जाने के कारण माप पुस्तिका में मूल्यांकन का इन्द्राज नहीं हो पाया। उक्त कार्य के मूल्यांकन का इन्द्राज माप पुस्तिका में मेरे द्वारा अन्य ग्राम पंचायत में कार्यरत रहते हुए भी करवा दिया गया था लेकिन फिर भी जांच अधिकारी द्वारा उक्त उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका का अवलोकन नहीं कर मुझे दोषी करार दिया गया। जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22–9–2010 के प्रस्ताव संख्या 5 के निर्णय अनुसार मेरी एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभाव से रोक दी गई जो विधिसम्मत नहीं है।

उन्होंने यह भी कथन किया कि मेरे द्वारा उक्त कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र बनाकर तत्कालीन कनिष्ठ अभियन्ता को प्रस्तुत कर दी गई थी जिसमें स्वीकृत राशि एवं व्यय राशि का ब्यौरा प्रस्तुत कर दिया गया था। कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा माप पुस्तिका में मूल्यांकन नहीं किया गया इसी दौरान अपचारी कार्मिक का स्थानान्तरण ग्राम पंचायत रोहिण्डी में हो गया। मेरे द्वारा सरपंच को कई बार निवेदन किया गया परन्तु उनके द्वारा भी कोई कार्यवाही नहीं की गई। उक्त कार्य वर्तमान में मौके पर सही स्थित है जिसका तकनीकी अधिकारी से मूल्यांकन कराया जा सकता है। मेरे द्वारा किसी प्रकार का गबन नहीं किया गया है एवं न ही अनियमिता बरती गई है। मेरे ऊपर लगाया गया आरोप निराधार एवं बेबुनियाद है अतः लगाया गया आरोप निरस्त करने की कृपा करावे।

अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, नागौर से टिप्पणी प्राप्त की गई उन्होंने अपने पत्र क्रमांक 7928 दिनांक 22–8–2016 से अवगत कराया है कि श्री रामदिनेश छीपा तत्कालीन ग्राम सेवक एवं पदेन सचिव ग्राम पंचायत किनसरिया पंचायत समिति परबतसर के द्वारा ग्राम पंचायत किनसरिया में निर्माण कार्यो में बरती गई अनियमितता के आरोप में जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22–9–2010 के प्रस्ताव संख्या 5 के द्वारा एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभास से रोके जाने के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है।

उक्त संबंध में ग्राम पंचायत किनसरिया में निर्माण कार्यो के भ्रष्टाचार करने संबंधी शिकायत श्री मेहराम पुत्र नाथूराम पादड़ा निवासी खिदरपुरा द्वारा माननीय सचिव लोकायुक्त सचिवालय जयपुर को की गई। शिकायत प्राप्त होने पर जिला कलक्टर नागौर द्वारा शिकायत की जांच अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर से करवाई गई। जांच रिपोर्ट में श्री रामदिनेश छीपा, श्री हरदीनराम एवं श्री किशनगोपाल कथारिया तत्कालीन ग्राम सेवक ग्राम पंचायत किनसरिया को दोषी मानेजाने पर इनके विरूद्ध 16 सीसीए में विभागीय कार्यवाही प्रस्तावित की गई है। श्री रामदिनेश छीपा को इसी परिपेक्ष्य में 16 सीसीए में विभागीय कार्यवाही शुरू कर आरोप पत्र जारी किया गया। इन पर आरोप था कि ग्राम पंचायत किनसरिया में ग्राम सेवक के पद पर रहते हुए ई..एफ.सी योजना में स्वीकृति आदेश संख्या 34–36 दिनांक 26–6–2005 द्वारा निर्माण कार्य रामदेवजी के मंदिर व तालाब के पास खिंदरपुरा से 15000/– का स्वीकृत किया गया था। यह कार्य दिनांक 2–7–2005 से शुरू किया जाकर 9–7–2005 तक पूर्ण किया गया। उक्त कार्य पर 13141/– रूपये व्यय किया गया लेकिन इसके लिए न तो एम.बी भरी गई एवं न ही उपयोगिता प्रमाण पत्र तैयार किया गया। इस प्रकार 13141/– का गबन कर अनियमितता बरती गई।

श्री रामदिनेश छीपा पर लगाये गये आरोपों की जांच करने हेतु विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को जांच अधिकारी एवं प्रगति प्रसार अधिकारी पंचायत समिति परबतसर को विभागीय पेरोकार नियुक्त कर विभागीय जांच कार्यवाही करवाई गई। विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर की जांच रिपोर्ट अनुसार कार्य का मूल्यांकन पूर्ण होने के लगभग 3–4 वर्ष पश्चात मूल्यांकन हुआ तथा देरी का कारण ग्राम सेवक द्वारा समय पर रेकार्ड प्रस्तुत नहीं करने के अभाव से उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी करने में देरी हुई जिसके कारण राशि का समायोजन नहीं करवाया जा सका जिसके लिए ग्राम सेवक की लापरवाही प्रतीत होती है। वर्तमान में ग्रम सेवक द्वारा कार्यालय में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर माप पुस्तिका में माप का इन्द्राज करने का निवेदन करने पर वर्तमान कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा 13141/– रूपये का उपयोगिता प्रमाण पत्र जारी किया है। जांच अधिकारी ने जांच रिपोर्ट में उक्त राशि को गबन में नही मानते हुए ग्राम सेवक द्वारा देरी से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए दोषी माना है। मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, नागौर द्वारा अपने आदेश क्रमांक 3315 दिनांक 7–10–2010 द्वारा जांच अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समित परबतसर की जांच रिपोर्ट एवं जिला स्थापना समिति की बैठक दिनांक 22–9–2010 के प्रस्ताव संख्या 5 में लिये गये निर्णय अनुसार एक वेतन वृद्धि संचयी प्रभास से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किया गया है जो सर्वथा उचित है। अतः अपचारी कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने हेतु निवेदन किया गया।

अपचारी कर्मचारी को व्यक्तिगत रूप से सुना गया। पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का गहनता से अवलोकन किया गया बाद अवलोकन व अध्ययन किया गया जिससे स्पष्ट है कि जांच अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर की जांच रिपोर्ट में उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने के लिए दोषी माना है तथा ई.एफ.सी. योजना में स्वीकृति आदेश संख्या 34–36 दिनांक 26–6–2005 द्वारा निर्माण कार्य रामदेवजी के मंदिर व तालाब के पास खिंदरपुरा तक के लिए राशि 15000/– रूपये स्वीकृत की गई थी। अपचारी कर्मचारी द्वारा तत्समय यह कार्य दिनांक 2–7–2005 से शुरू किया जाकर 9–7–2005 तक पूर्ण करवा लिया गया था उक्त कार्य पर 13141/– रूपये व्यय किया गया था। व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान अपचारी कर्मचारी द्वारा अवगत कराया कि उसका स्थानान्तरण ग्राम पंचायत किनसरिया से ग्राम पंचायत रोहिण्डी में हो जाने पर मेरे द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत किनसरिया को कई बार निवेदन करने के उपरान्त भी उनके द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई। अपचारी कर्मचारी द्वारा पंचायत समिति द्वारा स्वीकृत राशि मं से 13141/– रूपये ही उक्त कार्य पर व्यय किये गये है।

अपचारी कर्मचारी का स्थानान्तरण अन्य ग्राम पंचायत में होने के उपरान्त भी माप पुस्तिका में उक्त कार्य के मूल्यांकन का इन्द्राज करवा दिया गया था। जांच अधिकारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं माप पुस्तिका का अवलोकन किये बिना दोषी माना है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि अपचारी कर्मचारी द्वारा माप पुस्तिका में उक्त कार्य के मूल्यांकन का इन्द्राज करवा दिया गया था तथा मौके पर स्वीकृत राशि 15000/– में से 13141/– रूपये का ईएफ.सी योजना में रपट निर्माण खिंदरपुरा तालाब के पास कार्य भी करवाया गया है जो कि पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज से स्पष्ट प्रतीत होता है। जांच अधिकारी एवं विकास अधिकारी पंचायत समिति परबतसर ने अपचारी कर्मचारी पर उक्त राशि को गबन नहीं करना सिद्ध पाया है। स्वीकृत कार्य की तत्समय एम0बी0 नहीं भरी गई तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र व मूल्यांकन प्रमाण पत्र जारी नहीं किया गया परन्तु वर्तमान में (कार्य पूर्ण होने से) एम0बी0 भरी हुई है तथा उपयोगिता प्रमाण तथा मूल्यांकन प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी हो चुके हैं। अपचारी कर्मचारी द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान कार्य का उपयोगिता प्रमाण पत्र, मूल्यांकन जांच प्रमाण पत्र एवं कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र की फोटो प्रतियां प्रस्तुत की है जिससे अपचारी कर्मचारी पर लगाया गया आरोप सिद्ध नहीं होता है। यद्यपि तत्समय ही यह कार्य किया जाना चाहिये था अर्थात् एम0बी0 भरकर बाद मूल्यांकन उपयोगिता प्रमाण तथा कार्य पूर्णता प्रमाण पत्र जारी करवाया जाना चाहिये था परन्तु फिर भी वर्तमान में कार्य सम्बन्धी यह समस्त कार्यवाही पूर्ण हो चुकी है तथा गबन का कोई प्रकरण नहीं बनता है। अपचारी कर्मचारी द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र देरी से प्रस्तुत करने में उसकी कोई बदनियति जाहिर नहीं होती है। अपचारी कर्मचारी श्री रामदिनेश छीपा, ग्राम सेवक, पंचायत समिति परबतसर जिला नागौर द्वारा व्यक्तिगत सुनवाई के दौरान किये गये कथन एवं जवाब से सहमति व्यक्त करते हुए राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियत्रंण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अन्तर्गत पारित दण्डादेश दिनांक 7–10–2010 को इसी स्तर पर समाप्त किया जाकर अपचारी कर्मचारी को भविष्य में सावधानी पूर्वक कार्य करने की हिदायत दी जाती है।

अतः उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलान्ट की अपील स्वीकार की जाती है तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद्, नागौर द्वारा अपीलार्थी कर्मचारी की एक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने बाबत पारित दण्डादेश दिनांक 07–10–2010 विधिविरूद्ध होने से निरस्त किया जाता है। निर्णय की सूचना संबंधित को दी जावे।

(लक्ष्मी नारायण मीणा),
संभागीय आयुक्त,
अजमेर